बिहार सरकार
कृषि विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः–6 / स्था0नियमावली–18 / 2014 - 622 कृ0,पटना, दिनांक–11-07-वर्ष, 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल कृषि विभागीय पौधा संरक्षण के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

बिहार कृषि विभागीय पौधा संरक्षण लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः– (1)** यह नियमावली बिहार पौधा संरक्षण लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2018 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ** – इस नियमावली में जब तक की संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं होः–
   (i) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार कृषि विभागीय पौधा संरक्षण का लिपिकीय संवर्ग ;
   (ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;
   (iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना ;
   (iv) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि ;
   (v) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्गो में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से संवर्गो में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है ; तथा
   (vi) ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों /अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ;
3. **संवर्ग की संरचना**– लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी:–

क्र०	कोटि का नाम	स्तर	सवंर्ग के सदस्यों का वेतनमान वही होगा जो समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जायेगा।
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	
(घ)	प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर	

4. **संवर्ग बल**– संवर्ग बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।
5. **भर्ती**:– (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15% पद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की योग्यताधारी सुपात्र समूह ''घ'' के कर्मचारियों (कार्यालय परिचारी / चौकीदार) में से भरा जायेगा। सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10 % अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।

(2) सीधी भर्तियॉ, आयोग की अनुशंसा पर, निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियो की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यार्थियों का चयन करने के बाद, नियुक्ति प्राधिकार को, मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा/मेघा सूची की वैधता एक वर्ष तक रहेगी।

(5) सम्यक् छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्ष के लिए करेगा।

6. **अर्हता**– (1) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु न्युनतम शैक्षणिक अर्हता, कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ, इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जायेगी।

7. **आरक्षण**– भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **प्रोन्नति द्वारा भर्ती**– (1) नियुक्ति प्राधिकार लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु विहित योग्यताधारी समूह 'घ' के कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति, वरीयतानुसार नियुक्ति प्राधिकार की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. **परिवीक्षा**– प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा, किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में, परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10. **विभागीय परीक्षा**–

(1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिये 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र–1 सेवा नियमावली– बिहार सेवा संहिता ,पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि , टिपप्णी एवं प्रारुपण।

पत्र–2 वित्तीय नियमावली– कोषागार संहिता , वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिडियोर बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, बीमा नियमावली।

(3) उप नियम (2) में अवधारित विभागीय परीक्षा का विषय वस्तु राजस्व पर्षद द्वारा विभागीय परीक्षा हेतु , समय–समय पर, अवधारित विषय वस्तु के आलोक में यथा संशोधित समझा जायेगा।

(4) बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 के प्रावधान इस संवर्ग पर लागू होंगें।

11. **सम्पुष्टि**– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक कार्य के आधार पर तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद, सम्पुष्ट किया जायेगा।

12. **वरीयता**– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा विनिश्चित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी।

परन्तु इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षो में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं।

परन्तु यह और भी कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होगें।

13. **प्रोन्नति**– (1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और नियुक्ति प्राधिकार की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, दी जा सकेगी।

(2) प्रोन्नति समिति निम्नानुसार गठित होगी:–

(क)	संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना	:–	अध्यक्ष
(ख)	कोई वरीय उप निदेशक पौधा संरक्षण	:–	सदस्य
(ग)	अध्यक्ष द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी,	:–	सदस्य
(घ)	अध्यक्ष द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट विनिश्चित अल्पसंख्यक समुदाय का एक पदाधिकारी	:–	सदस्य
(ड़)	मुख्यालय मे पदस्थापित उप निदेशक, पौधा संरक्षण, मे से कोई एक पदाधिकारी–	:–	सदस्य सचिव

14. **संवर्ग का स्तर**– यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

15. **अवशिष्ट मामले**– ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रुप से आच्छादित नहीं है, इस सवंर्ग के सदस्य, राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होगें।

16. **कठिनाई का निराकरण**– सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश अधिसूचना द्वारा नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17. **निर्वचन**– जहॉ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहॉ मामला सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना द्वारा विधि विभाग से परामर्श के पश्चात, विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

18. **निरसन एवं व्यावृति**–

(1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति द्वारा या के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या